कुमार कमलेश,
अपर मुख्य सचिव।

अ0शा0प0सं0: 47/बी0बी0/क्षे0नि0प्र0/2019
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
योजना भवन, लखनऊ–226001
फोनः 0522–2238973 (का.)
दिनांकः 25.10.2019

प्रिय महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सर्वांगींण विकास को गति देने के लिए नियोजन अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 31/2018/147 बी0पी0/35–1– 2018–8/1(10)/2018 दिनांक 28 दिसम्बर,2018 द्वारा बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि **उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड सम्भाग की समस्याओं एवं उनके निदान की रणनीति हेतु माह दिसम्बर,2019 के द्वितीय पक्ष में राष्ट्रीय स्तर की 03 दिवसीय संगोष्ठी (सेमिनार) जनपद झाँसी, उ0प्र0 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है** जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेगा। इस सेमिनार में विभिन्न सेक्टरों जैसे–कृषि, जल प्रबन्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा, ग्राम्य विकास, सड़क, पशुपालन, कौशल विकास एवं उद्योग आदि विविध विषयों पर चर्चा की जायेगी। सन्दर्भित सेमिनार में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मा0 मंत्रीगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों के शिक्षाविदों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा तथा विविध विषयों पर सक्सेस स्टोरी/शोध पत्र भी प्रस्तुत किये जायेंगें, जिसमें निम्न बिन्दुओं को समाहित किया जायेगाः–

1. बुन्देलखण्ड सम्भाग के विकास में बाधक समस्या।
2. चिन्हित समस्या के समाधान हेतु सुझाव।
3. चिन्हित समस्या हेतु प्रस्तुत किये गये सुझाव के कियान्वयन की प्रकिया।
4. समस्या के निदान से सम्भावित परिणाम (आउटकम)।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड सम्भाग के विकास हेतु सन्दर्भित सेमिनार में यदि कोई शोध पत्र/सक्सेस स्टोरी आपके द्वारा प्रस्तुत करना चाहने की स्थिति में उसकी प्रति हार्ड तथा साफ्ट कापी (E-mail-directorapdplanning@gmail.com) दिनांक 30 नवम्बर,2019 तक नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)

1. बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड के मा0 पदाधिकारीगण।
2. बुन्देलखण्ड सम्भाग से सम्बन्धित सभी मा0 सांसद/ मा0 विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि।
3. नीति आयोग के मा0 उपाध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधि।
4. बोर्ड के विभागीय सदस्य/विशेष आमंत्री विभागीय सदस्य।
5. बुन्देलखण्ड सम्भाग के मण्डलों के मण्डलायुक्त।
6. प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपति।
7. प्रमुख शिक्षण संस्थानों के निदेशक/प्राचार्य।
8. बुन्देलखण्ड सम्भाग के जनपदों के जिलाधिकारी।
9. प्रमुख गैर सरकारी संगठन।
10. प्रमुख प्रतिनिधि मण्डल।